57

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2272—दो / 2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 14—06—2015 के द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल खन्नौधी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 41 / अ—12 / 2014—15.

....

रामस्वारथ तनय रामप्रताप
निवासी ग्राम सरिहट तहसील गोहपारू
जिला शहडोल म0 प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—श्रीमती सुक्खी पिता रामप्रताप (मृतक)
वारिसान :—
अ—संतराम पुत्र लक्ष्मण माता सुक्खी
ब—गिरजा पुत्री लक्ष्मण माता सुक्खी
निवासी ग्राम सरिहट तहसील गोहपारू
जिला शहडोल म0 प्र0
स—भगवती उर्फ गुज्जी पुत्री लक्ष्मण माता सुक्खी
पत्नी रामलखन कुशवाह निवासी ग्राम घटई
थाना कंजिया जिला कोरिया (छत्तीसगढ)
2— म0 प्र0 शासन

——— अनावेदकगण

....

श्री रामनरेश मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक
अना0—2शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

....

आदेश
(आज दिनांक 07-03-2018को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल खन्नौधी तहसील गोहपारू जिला शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–06–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा दिनांक 1.6.15 को राजस्व निरीक्षक के यहां आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि ग्राम सरिहट की आराजी क्रमांक 61/1, 75, 76, 77, 81, 148/1, 149, कुल किता 7 रकवा क्रमशः 0.125, 0.109, 0.089, 0. 356, 0.170, 0.007, 0.044, है0 का सीमांकन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 1.6.15 निश्चित तारीख निर्धारित की। सरहदी कास्तकारों को सूचना दी। कोई आपत्ति नहीं आने पर दिनांक 14.6.15 को आदेश पारित किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.6.15 विधि प्रकिया एवं प्रकरण में आये तथ्यों एवं सीमांकन हेतु बनाये गये नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदिका द्वारा सीमांकन कार्यवाही के लिये आवेदित भूमियों का आवेदक सहभूमिस्वामी अर्थात सीमांकन की गई भूमियां संयुक्त खाता की भूमियां है किन्तु अकेले अनावेदिका के आवेदन पत्र पर उक्त भूमियों का जो सीमांकन किया गया है वह सीमांकन नियमों के पूरी तरह से विपरीत होने से मात्र इसी आधार पर प्रश्नाधीन सीमांकन पुष्टि आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। सीमांकन की नगई भूमियों का न तो अनावेदिका के नाम अलग से कोई बटांक कायम है न ही बटांक के अनुसार कोई नक्शा तरमीम ही हुआ है जिस कारण अनावेदिका पहले उक्त भूमियों का बटांक कायम कराकर उसी अनुसार नक्शा तरमीम कार्यवाही कराने के उपरांत ही सीमांकन का आवेदन पत्र देने के लिये पात्रता रखती थी, किन्तु उपरोक्त कार्यवाही हुये बगैर जो सीमांकन कार्य किया गया है वह गलत एवं अवैधानिक होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन में भी पूरे रकवा पर आवेदक काबिज पाया गया है, जिससे भी प्रमाणित है, कि आवेदक को सूचना एवं

जानकारी दिये बगैर कोई सीमांकन नहीं हो सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान दिये बगैर आदेश पारित करने की भूल की गई है। सीमांकन कार्यवाही की जो फील्ड बुक बनाई गई है वह पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है क्यों कि किस भूमि नम्बर पर कौन सा चिन्ह कायम किया गया है किस चिन्ह को आधार माना गया कौनसी मेड में कौन सा बिन्दु कायम किया गया है इसका फील्ड बुक में कई भूमि नम्बरों का सीमांकन एक साथ करने बावत भी अलग–अलग भूमि नम्बर की नाप का फील्ड बुकं में कोई उल्लेख नहीं है जिससे प्रमाणित है कि घर में बैठकर पूरा सीमांकन किया गया है जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक खन्नौधी तहसील गोहपारू द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.6.15 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका के कब्जे दखल एवं हक मालिकाना की भूमि है जो दर्ज राजस्व अभिलेख है। उपरोक्त आराजियात एवं आवेदक की पैत्रिक संपत्ति थी जिसको लेकर अनावेदिका एवं आवेदक के मध्य आपसी बंटवारा हो चुका है। अनावेदिका द्वारा आवेदक के मध्य बंटवारा होने के पश्चात उपरोक्त भूमियों का सीमांकन भी कराया जा चुका है। जिनका स्वीकृति राजस्व निरीक्षक वृत्त खन्नौध द्वारा दिनांक 14.6.15 सीमांकन किया गया है। अनावेदिका की भूमियों पर आवेदक को कब्जा दखल बनाये रखने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी आवेदक पेशान कर रहा है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि राजस्व निरीक्षक खन्नोधी तहसील गोहपारू द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.6.15 उचित होने से स्थिर रखने एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनावेदिका द्वारा दिनांक 1.6.15 द्वारा राजस्व निरीक्षक के यहां आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि ग्राम सरिहट की आराजी कमांक 61/1, 75, 76, 77, 81, 148/1, 149, कुल किता 7 रकवा कमशः 0.125, 0.109, 0.089, 0.356, 0.170, 0.007, 0.044, है0 का सीमांकन करने हेतु प्रस्तुत किया । राजस्व निरीक्षक मण्डल खन्नौधी

तहसील गोहपारू जिला शहडोल द्वारा दिनांक 8.6.15 निश्चित तारीख निर्धारित की। सरहदी कास्तकारों को सूचना दी। कोई आपत्ति नहीं आने पर दिनांक 14.6.15 को आदेश पारित किया गया। प्रकरण में संलग्न पृष्ठ कमांक 13 पर सीमांकन के समय मौके पर उपस्थित रहने बावत•पत्र में आवेदक द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया है। राजस्व निरीक्षक के अभिलेख के पृष्ठ कमांक 14 पर फील्ड बुक भी तैयार कर सीमांकन किया गया है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक का यह कहना गलत है कि फील्डबुक में किस भूमि नम्बर पर कौन सा चिन्ह कायम किया गया है किस चिन्ह को आधार माना गया कौनसी मेड में कौन सा बिन्दु कायम किया गया है, जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा धारा 129 के नियमों का पूर्ण पालन करते हुये सीमांकन की कार्यवाही की गई है जिससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक मण्डल खन्नौधी तहसील गोहपारू जिला शहडोल का आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, इसलिये आदेश दिनांक 14.6.15 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल खन्नौधी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 41/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14.6.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर